दुरूद शरीफ पढ़ने की फ़ज़ीलत

मौलाना मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत औस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हें कि अल्लाह के रसूल स० ने फरमायाः तुम्हारे सबसे बेहतर दिनों में से जुमा का दिन है, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किये गये, इसी दिन उनकी रूह क़ब्ज़ की गयी, इसी दिन सूर फूंका जायेगा, इसी दिन चीख हो गी इस लिये तुम लोग इस दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरे ऊपर पेश किया जाता है।

हज़रत औस रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! दरूद आप पर कैसे पेश किया जायेगा जबकि आप (निधन होकर) बोसीदा हो चुके होंगे। आप स० ने फरमायाः अल्लाह तआला ने ज़मीन पर पैगम्बरों के शरीर को हराम कर दिया है'' (सुनन अबू दाऊद)

वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने की हदीसों में बड़ी फ़ज़ीलत आई है लेकिन जुमा के दिन खास तौर से ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने की फज़ीलत है।

रिवायतों में आता है कि दरूद पढ़ने से अल्लाह तआला गम व दुख को ख़तम कर देता है जैसा कि उबय बिन काब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि जब दो तिहाई रात गुज़र जाती तो अल्लाह के रसूल स० उठते और फ़रमातेः लोगो! अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, खड़खड़ाने वाली आ गई है और इसके साथ एक दूसरी आ लगी है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है। मौत अपनी फौज लेकर आ गई है मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह रसूल! मैं आप पर बहुत दरूद पढ़ता हूं अपने वजीफा में आप पर दरूद पढ़ने के लिये कितना वक़्त तय कर लूं? आप स० ने फरमायाः जितना तुम चाहो मैंने अर्ज़ किया चौथाई? आप ने फरमाया जितना तुम चाहो और अगर इस से ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है मैंने अर्ज़ कियाः आधा? आप ने फ़रमायाः जितना तुम चाहो और अगर इससे ज़्यादा कर लो तो तुमहारे हक़ में बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया दो तिहाई? आप ने फरमायाः जितना तुम चाहो और अगर इससे ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा मैंने अर्ज़ किया वजीफ़े में पूरी रात आप पर दरूद पढ़ा करूं? आप स० ने फरमायाः अब यह दरूद तुम्हारे गमों के लिये काफ़ी हो गया और इससे तुम्हारे गुनाह बख्श दिये जायेंगे। (अबू दाऊद)

दरूद शरीफ आसान तरीन वजीफ़ा है, इन दोनों रिवायतों के अलावा दूसरी रिवायतों में दरूद पढ़ने की बड़ी फज़ीलत बयान की गई है, लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों पर इतनी गफ़लत तारी है कि नमाज़ तो दूर की बात गफ़लत और लापरवाही में २४ घन्टे में एक बार दरूद भी नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी को दरूद शरीफ की फज़ीलत हासिल करने की क्षमता दे। (आमीन)

मासिक

इसलाहे समाज

दिसंबर 2025 वर्ष 36 अंक 12

जुमादल उख़रा 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. दरूद शरीफ़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 02
2. इन्सान से हमदर्दी 04
3. पवित्र क़ुरआन की विशेषताएँ 06
4. सहाबा किराम रज़ि० का परिचय 08
5. आतंकवाद और इस्लाम 12
6. नसीहत के शिष्टाचार 17
7. शिक्षा का अधिकार 19
8. इस्लाम में न्याय का महत्व और कुछ व्यवहारिक उदाहरण 22
9. मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर महोदय के दावती दौरे 24
10. मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म 25
11. प्रेस रिलीज़ 26
12. अपील 27
13. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

इन्सान से हमदर्दी

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

शान्तिपूर्ण जीवन यापन और सुगम जीवन का तक़ाज़ा है कि दुनिया में दोस्ती ही दोस्ती हो, किसी से भी दुश्मनी न हो और कहीं भी दुश्मनी की मामूली गुंजाइश बाकी न रहे यह संसार प्रेम, आपसी मेल मिलाप और नजदीकी बढ़ाने के लिये बनाई गई है। विशेष रूप से इन्सान जब दुख दर्द और रोग में लिप्त हो, चाहे वह रोग शारीरिक हो या आध्यात्मिक चाहे वह रोग स्पष्ट हो या अस्पष्ट हर प्रकार के रोग में प्रेम ही प्रेम निछावर करना है।

दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को
वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियां

मानवता उसी वक़्त ज़िन्दा रह सकती है और दुनिया उसी वक़्त बाक़ी रह सकती है जब आपसी हमदर्दी और प्रेम का आदान प्रदान होता रहे। अल्लाह को यही चाहिए। उसने इन्सानों को इसी लिये पैदा किया है ताकि वह एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे को जानें और सब एक दूसरे से परिचित और क़रीब हों।

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

''ऐ इन्सानो! हम ने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम को कुंबों और क़बीलों में रख छोड़ा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो बेशक तुम में से ज़्यादा सम्माननीय इन्सान अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के यहां वही है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से भय खाने वाला है।'' (सूरे हुजूरातः१३)

यहाँ भी एक दूसरे को पहचानने, उनकी क़द्र व कीमत जाने, उनसे अच्छे संबन्ध बनाने, उनसे प्रेम बढ़ाने और प्रेम स्थापित करने पर बल दिया गया है।

रिश्तेदारों के जानने, पहचानने और इसे जोड़ने का आदेश दिया है, इन रिश्तों को स्थापित करने और इनका हक़ अदा करते रहने का आर्डर है इसके अलावा इन रिश्तेदारियों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरते रहने का हुक्म है वर्ना रिश्ते कट जायेंगे इसी लिये शरीअत ने बन्दों के अधिकारों को निर्धारित किया है। पड़ोसी का अधिकार, सहयात्री का अधिकार, राह चलने वालों का अधिकार, राह में बैठने वालों का अधिकार, सवारी पर सवार का अधिकार, पैदल चलने वालों, गरीबों, यतीमों, अनाथों मालदारों, प्रजा अवाम, शासकों, दोस्तों, मां बाप, रिश्तेदारों, स्वामियों, गुलामों, पति पत्नी, औलाद, गैर मुस्लिमों और जानी दुश्मन का अधिकार। जो अल्लाह तआला का अधिकार जान गया उस पर सब का अधिकार और उनसे मुहब्बत अनिवार्य हो गई। देखो निर्जीव, वनस्पति, जानदार इन सबके अधिकार बन्दों और इन्सानों से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। वास्तव में यही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सृष्टि का कर्तव्य है क्योंकि जब अल्लाह को स्वामी और हर वस्तु का पालनहार जान लिया तो फिर अपने स्वामी की सृष्टि को वह कैसे उपेक्षा कर सकता हे? और उसकी पैदा की गई सृष्टि से कैसे दुश्मनी रख सकता है? अपनी जैसी सृष्टि इन्सान से दुश्मनी करना तो दूर की बात है।

इस लिये इन्सान के साथ दुश्मनी की कोई गुनजाइश नहीं है। सभी इन्सानों से उसके स्थान के अनुसार प्रेम करना है, उनके अधि

ाकारों को अदा करना है। अल्लाह अपने बन्दों से दुश्मनी नहीं करते वह सबको प्रिय रखते हैं जो उसकी इबादत करते हैं, आज्ञाकारी हैं उनसे खुश होते हैं, और उस के अवज्ञाकारी हैं उनकी हिदायत के लिये दया फरमाते हैं वह चाहते हैं कि कोई बन्दा पापी न रहे। इसी लिये उन्होंने अच्छे बुरे का अन्तर सिखाया, किताब उतारी, अक़्ल दी, पैगम्बर भेजे, उपदेश का प्रबन्ध किया, उनमें से सख्त पापियों, सीमा से आगे। बढ़ जाने वालों, उसके विरोध में बहुत आगे बढ़ जाने वालों को भी अपनी बन्दगी से नहीं निकालते बल्कि बड़ी अपनाइयत से उनसे संबोधित होते हैं और अपनाइयत से उनको बुलाते हैं हालांकि वह इस हद तक सरकश हो चुके हैं, सरताबी और शरारत में इतने आगे जा चुके हैं कि दुनिया तो इन से बेज़ार हो ही रही है वह स्वयं ही आप के लिये नफरत के योग्य बन चुके हैं उनको स्वयं अपने आप से घिन आने लगी है स्वयं अपने करतूत और बुराइयों और अत्याचार को सोच कर हलकान होये जा रहे हैं और उनको स्वयं मुंह दिखाने और मुंह खोलने की ज़रूरत अकेले और अंधेरे में भी नहीं हो रही है। वह मायूसी और बेबसी और गन्दगी के ऐसे गढ़े में गिर चुके हैं और लतपत हो चुके हैं कि वह अब मायूसी के आखिरी पायदान पर खड़े हैं बल्कि वह खुद अपने गुनाहों को सोच कर यकीन कर चुके हैं, उनको एहसास हो चुका है कि सारी दुनिया उनसे नफरत कर रही है उन पर लानत भेज रही है। वह खुद अपने आप को मआफ करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं पाते। दिल के किसी कोने में अब आशा की किरण नज़र नहीं आती और न अब बोलने और सामना करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। निराशा जो कुफ्र है अब इस के भी मुरतकिब हो कर पूर्ण रूप से सजा और दुश्मनी की इन्तेहा को पहुंच गये हैं कि आदेश होता हैः

''ऐ मेरे बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार किया है तुम अल्लाह की रहमत से निराश न हो जाओ, निःसन्देह यह अल्लाह तआला सब गुनाहों को मआफ कर देता है वास्तव में वह बड़ा मआफ करने वाला बड़ा रहमत वाला है। तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो और उसके आदेशों का पालन करो इससे पहले कि प्रकोप तुम्हारे पास आ जाये और फिर तुम्हारी मदद न की जाये। और पैरवी करो उस बेहतरीन चीज़ की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अवतरित की गई है इस से पहले कि तुम पर अचानक अज़ाब आ जाये और तुम्हें खबर भी न हो। ऐसा न हो कि कोई कहे हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह के हक़ में कोताही की बल्कि मैं तो मज़ाक़ उड़ाने वालों में ही रहा या कहे कि अगर अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाता तो मैं पारसा लोगों में से होता। अज़ाब देख कर कहे काश! कि किसी तरह मेरा लौट जाना हो जाता तो मैं नेक काम करने वालों में से हो जाता'' (सूरे जुमरः ५२-५८) अल्लाह तआला कितना प्यार जताते हुए अपने मआफ करने के विस्तार को व्यक्त करते हुए फरमा रहा है कि मेरे बन्दो निराशा के भंवर से निकलो, आशा की जोत जगाओ, अल्लाह की मुहब्बत और दयालुता में जगह पाओ, सफल हो जाओ, अल्लाह के वलियों की पंक्ति में आ खड़े हो जाओ। अब सब तुम्हारे किये धरे मआफ कर दिये गये और अगर तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे का अधिकार है तो उसे भी अदा करो और कामयाब हो जाओ। अब किसी से दुश्मनी न रखो यह तुम्हारी सेहत के लिये घातक है।

पवित्र कुरआन की विशेषताएँ

एन अहमद

पवित्र ग्रंथ कुरआन न केवल मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाश देने वाला ईश्वरीय संदेश भी है। कुरआन को अल्लाह की ओर से अंतिम और पूर्णतम वहय (प्रकाशना) माना जाता है, जिसे हजरत मुहम्मद स० पर अरबी भाषा में उतारा गया। इसकी अनेक विशिष्टताएँ हैं जो इसे अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों से अलग बनाती हैं।

१. ईश्वरीय ग्रंथ होने की विशिष्टता

कुरआन का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह अल्लाह की ओर से उतारा गया शुद्ध संदेश है। इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

कुरआन स्वयं कहता है कि ''यह अल्लाह की किताब है, जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं।''

२. तहरीफ (परिवर्तन) से सुरक्षित है।

४ सौ वर्षों के लंबे समय के बावजूद कुरआन आज भी मूल रूप में सुरक्षित है।

इसका हर शब्द वैसे ही है जैसा उतारा गया था।

दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान इसे जुबानी याद करते हैं, और करोड़ों लोगों के सीने में सुरक्षित हैं।

इसकी हर आयत का लेखन और संकलन अत्यंत सावधानी से किया गया।

परिणामस्वरूप, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कभी नहीं हो पाया और न भविष्य में संभव है।

३. सम्पूर्ण मानवता के लिए संदेश

कुरआन किसी विशेष जाति, क्षेत्र या समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए उतारा गया है। यह मनुष्य को एकेश्वरवाद की आस्था, नैतिकता, न्याय, शांति, सामाजिक संतुलनए की शिक्षा देता है।

यह हर व्यक्ति को सोचने, समझने और सत्य स्वीकार करने की ओर प्रेरित करता है।

४. जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन

कुरआन केवल धार्मिक इबादतों का ग्रंथ नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन-व्यवस्था प्रस्तुत करता है।

इसमें निम्न विषयों पर स्पष्ट दिशानिर्देश मिलते हैं

आध्यात्मिकता और ईमान, नैतिक शिक्षा, परिवार व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक न्याय, मानवाधिकार, शिक्षा और ज्ञान, युद्ध और शांति के सिद्धांत व कानून।

इस प्रकार यह पूरी मानव सभ्यता के लिए मार्गदर्शक पुस्तक है। ५. वैज्ञानिक दष्टिकोण

कुरआन में ब्रह्माण्ड, मानव-निर्माण, प्राकृतिक घटनाओं, जल-चक्र, पहाड़ों, समुद्रों आदि के बारे में कई आयतें हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाती हैं।

कुरआन बार-बार मनुष्य को जमीन व आसमान में चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है।

६. अरबी भाषा की अद्वितीय शैली

कुरआन की भाषा अरबीअपनी

वाक्य संरचना, गहराई, प्रभाव और साहित्यिक सौंदर्य के लिए अद्वितीय है।

इसकी शैली इतनी उत्तम है कि अरबी के महाकवि भी इसकी बराबरी नहीं कर सके।

कुरआन ने अरबी साहित्य को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया और भाषा को स्थायी रूप से संरक्षित किया।

७. तर्क और चिंतन पर बल

कुरआन बार-बार मनुष्य को सोचने, समझने, तर्क करने की बात कहता है।

यह अंधविश्वास के बजाय बुद्धि और सत्य पर जोर देता है।

८. उद्देश्यः इंसान को सही राह दिखाता है।

कुरआन का मूल संदेश यह है कि मनुष्य अपने जीवन में ईमान, नेक कार्य, न्याय, करुणा और सत्य को अपनाए और अल्लाह की बंदगी करते हुए जीवन बिताए।

यह इंसान को अज्ञानता से हटाकर रोशनी की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है।

९. समानता और मानवाधिकारों का संदेश

कुरआन सिखाता है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की रचना हैं।

यह नस्ल, रंग, भाषा या धन के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करता है।

इसमें महिलाओं, गरीबों, अनाथों, मजदूरों, व्यापारियों, पड़ोसियों सभी के अधिकारों का उल्लेख है।

१०. आध्यात्मिक शक्ति और असर कुरआन की तिलावत मन को शांति और दिल को सुकून देती है।

इसके शब्दों में एक विशेष आध्यात्मिक प्रभाव है जो सुनने वाले के मन में विनम्रता, विश्वास और सकारात्मकता पैदा करता है।

सारांश यह है कि

पवित्र कुरआन एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक देती है।

यह ईश्वरीय संदेश, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्मिक गहराई में सभी को एक साथ समेटे हुए है।

इसी कारण अन्य धर्मों के बुद्धिजीवियों के नजदीक भी इसे दुनिया का सबसे प्रभावशाली और सर्वकालिक ग्रंथ माना जाता है।

❑❑❑

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम अजमईन का परिचय

प्रो० डॉ मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

सहाबा किराम वे लोग हैं जो नबी स० पर ईमान लाए, और हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी आप का साथ न छोड़ा। इस्लाम की दृष्टि में इनको बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम तक इस्लाम पहुंचा। अतः कुरआन में विभिन्न प्रकार से इनके संबंध में वर्णन मिलता है। कहीं यह बताया कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वे इस्लाम विरोधियों (सत्य का इनकार करने वालों) के लिए तो कठोर हैं और आपस में दयालु। (सूरो-४८, अल-फत्ह, आयत-२९)

अर्थात इस्लाम पर उनका दृढ़ विश्वास है।

और कहीं उनको यह कहकर संबोधित किया गया है।

''तुम एक उत्तम समुदाय हो। तुम को लोगों लिए पैदा किया गया। तुम सत्कर्मों का आदेश देते हो और कुकर्मों से लोगों को रोकते हो। और अल्लाह पर ईमान रखते हो।'' (सूरा-३, आले-इमरान, आयत-११०)

यद्यपि इस आयत में सारे मुसलमानों को संबोधित किया गया है, परन्तु प्रथमतः जिन लोगों को संबोधित किया गया वे सहाबा ही थे।

निश्चय ही अल्लाह मोमिनों से प्रसन्न हुआ, जब वे एक वृक्ष के नीचे तुमसे बैअ्त कर रहे थे। (सूरा-४८, अल-फ़त्ह, आयत-१८)

इस आयत में अल्लाह ने प्रत्यक्ष रूप से बता दिया यिक वह सहाबा से प्रसन्न है। जब हम इनके जीवन का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद बहुत कष्ट झेला परन्तु नबी स० का साथ न छोड़ा। घरों से निकाले गए, रेगिस्तान की तपती ध रती पर घसीटा गया। इस पर भी इस्लाम नहीं छोड़ा तो कोड़े बरसाए गए, घर बार छोड़ने के पश्चात् भी पीछा किया गया। (देखिएः हिजरत) यह सब इसलिए कि वे एक अल्लाह पर ईमान लाए थे, परन्तु विधर्मियों को यह बात पसन्द नहीं आई और उन्होंने विभिन्न प्रकार से इनको कष्ट पहुंचाया। इन ईमान लाने वालों ने धैर्य से काम लिया, जो अल्लाह को पसन्द आ गया, और उसने प्रलय तक तथा हमेशा के लिए इनको अमर बना दिया। इसलिए किसी मुसलमान के लिए उचित नहीं कि उनको बुरा कहे। इसी की ओर संकेत करते हुए नबी स० ने फरमाया।

''मेरे साथियों को बुरा मत कहो, मैं उसकी क़सम खाकर कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुमें से कोई उहद पर्वत के बराबर भी सोना ख़र्च कर दे तो भी उनके पद को नहीं पहुंच सकता, बल्कि उनका आधा भी नहीं पहुंच सकता।'' (देखिएः बुख़ारी, ३६७३ तथा मुस्लिम, २५४०)

सहाबा की संख्याः

यूं तो इस्लाम स्वीकार करने वालों के नामों की कोई सूची नहीं मिलती, परन्तु विद्वानों का विचार है कि इनकी संख्या नबी स० के देहान्त

के समय एक लाख बीस हज़ार से अधिक थी, क्योंकि एक लाख सहाबा तो नबी स० के साथ हज में सम्मिलित हुए थे, जबकि बहुत सारे लोग मदीना तथा उसके चारों ओर ऐसे थे जो उस समय हज पर नहीं जा सके थे।

इस्लाम ग्रहण करने वाले पहले सहाबाः

१. बच्चों में सर्वप्रथम इस्लाम ग्रहण करने वाले, अली-बिन अबू तालिब रज़ि० नबी स० के चाचा के पुत्र तथा आप स० के दामाद।

२. स्त्रियों में सर्वप्रथम इस्लाम ग्रहण करने वाले अबू बक्र सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले ख़लीफ़ा, नबी स० के दोस्त एवं ससुर।

४. स्वतंत्र किए गुलामों में सर्वप्रथम इस्लाम प्रहण करने वाले ज़ैद बिन हारिसा रज़ि० जिनको ख़दीजा ने नबी स० की सेवा के लिए भेंट किया था, फिर आप स० ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया, परन्तु वे आप स० के पास ही रहे, कहीं और जाने से इनकार कर दिया।

प्रसिद्ध सहाबाः

प्रसिद्ध सहाबा में सबसे प्रथम चार 'खुलफ़ा-ए-राशिदीन (न्यायशील खुलफ़ा) आते हैं। जो ये हैं।

१. अबू-बक्र सिद्दीक़ रज़ि०

मुसलमान इस बात पर सहमत हैं कि नबी स० के बाद वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस दिन नबी स० का देहान्त हुआ, उसी दिन मदीना वासियों ने उनके हाथ पर नबी स० का खलीफ़ा होने की बैअत कर ली। अगर कोई पहले दिन बैअत न कर सका तो उसने बाद में कर ली।

उनकी खिलाफ़त का कुल समय दो वर्ष, तीन माह, आठ दिन हैं उनका देहान्त १३ सन हिजरी में हुआ। उस समय आपकी उम्र तिरसठ वर्ष थी। उनको सहाबा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने नबी स० का साथ उस समय भी दिया, जब आप स० ने मक्का से मदीना को हिजरत कीं अबू- बक्र को विश्वास था कि मक्का को विधर्मी अवश्य पीछा करेंगे। इसलिए उत्तर का मार्ग छोड़ कर, जो मदीना जाता था, दक्षिण का मार्ग अपनाया और एक गुफा में तीन दिन तक छिपे रहे। दुश्मन आप स० को ढूंढ़ते हुए गुफा के दहाने पर पहुंच गए, जिसके कारण अबू बक्र चिन्तित हो गए कि अगर उन्होंने झांककर देखा तो वे हमें देख लेंगे, परन्तु नबी स० ज़रा भी नहीं डरे, बल्कि उनको सांत्वना दी कि चिन्ता न करो, अल्लाह हमारे साथ है। कुरआन की यह आयत इसी ओर संकेत करती है।

''यदि तुम उसकी (रसूल की) सहायता न भी की तो (क्या हो जाएगा), अल्लाह उसकी सहायता उस समय कर चुका है जबकि कुफ़्र करने वालों ने उसे (मक्का से) निकाल दिया था। वह दो में का दूसरा था, जब वे दोनों गुफा में थे, जब वह अपने साथी से कह रहा था, ग़म न करो अल्लाह हमारे साथ है'' तो अल्लाह ने उस पर अपनी ओर से शान्ति उतारी और उसकी सहायता ऐसी सेनाओं से की जिन्हें तुमने नहीं देखा, और कुफ़्र करने वालों का बोल नीचा कर दिया, और अल्लाह ही का बोल ऊंचा रहने वाला है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। (सूरा-९, अत-तौबा, आयत-४०)

नबी स० को दृढ़ विश्वास था कि जब अल्लाह ने आप स० को

अन्तिम नबी बनाकर भेजा है तो वह स्वयं आप स० की रक्षा करेगा। सूरा माइदा यूं तो मदीना में उतरी, फिर भी उसकी यह आयत

''अल्लाह लोगों से आपकी रक्षा करेगा।''

(कुरआन, सूरा-५, अल-माइदा, आयत-६७) एक ऐसा चमतकार है, जो हिजरत करने से पूर्व भी सत्य सिद्ध हुआ और हिजरत करने के बाद भी।

सहीह हदीसों में अबू बक्र सिद्दीक़ की बड़ी श्रेष्ठता बयान की गई है। एक हदीस में आता है-

''अगर मैं किसी को अपना खलील (दोस्त) बनाता तो वह अबू बक्र होते, लेकिन वह मेरे भाई और साथी हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है।'' (बुख़ारी तथा मुस्लिम, २३८३)

२. उमर-बिन-ख़त्ताबः

इनको तेरह सन् हिजरी में ख़लीफ़ा बनाया गया और तेईस सन हिजरी में शहीद कर दिए गए। शहीद करने वाला एक पारसी गुलाम था, जिसका नाम अबू-लूलू फिरोज़ था। इस प्रकार इनका शासन काल दस वर्ष, और साढ़े छह मास रहा। ये पहले ख़लीफ़ा हैं जिनको अमीरूल-मोमिनीन कहा गया। शहादत के समय आपकी उम्र तिरसठ वर्ष थी। इनके शासनकाल में जो युद्ध हुए उनमें प्रसिद्ध युद्ध यरमूक, कादसिया, तथा नहावन्द, हैं, जिनमें मुसलमानों को सफलता प्राप्त हुई और इस्लामी शासन अरब प्रायद्वीप से लेकर मिस्र शाम (सीरिया), इराक़ तथा ईरान तक फैल गया। सहीह हदीसों में उनकी बड़ी श्रेष्ठता बताई गई है। वे अपने ईमान में इतने पक्के थे कि एक अवसर पर नबी स० ने उनसे फरमाया-

''उस अल्लाह की क़सम, जिसके हाथ में मेरा जीवन है। तुम जिस मार्ग से गुज़रते हो शैतान उस मार्ग को छोड़कर कोई और मार्ग अपना लेता है।'' (बुखारी, ३२९४ तथा मुस्लिम, २३९६)

फरमाया

''बनी-इसराईल में कुछ ऐसे लोग थे, जो नबी तो नहीं थे परन्तु उनको इलहाम हुआ करता था। अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा हो सकता है तो वह उमर है।'' (बुखारी, ३६८९ तथा मुस्लिम, २३९८)

अर्थात् उमर-बिन खत्ताब के विचार ऐसे होते थे जैसे उनको अल्लाह की ओर से इलहाम किया गया है। इसलिए स्वयं उमर का कथन है कि तीन स्थानों पर मेरे रब ने मेरे विचारों की पुष्टि की है मक़ामे इबराहीम, परदा तथा बद्र के क़ैदी। अर्थात इन तीन स्थानों पर मेरे विचार के समर्थन में आयतें उतरीं। (देखिएः मुसिलम २३९९)

३. उस्मान-बिन-अफ़्फ़ान रजि०

ये मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ि० ने अपने बाद छह महान सहाबा की कमेटी बना दी थी जिसके सदस्यों के नाम ये हैंः

१. उस्मान बिन अफ्फ़ान रज़ि०

२. अली बिन अबी तालिब रजि०

३. तलहा बिन उबैदुल्लाह रजि०

४. साद बिन अबी वक़्क़ास रजि०

५. अब्दुर्रहमान बिन औफ़

६. जुबैर बिन अव्वाम

और कहा, ''आप लोग आपस में मिलकर किसी एक को अपना खलीफ़ाचुन लें'' सबने उस्मान बिन अफ़्फान रज़ि० को अपना ख़लीफ़ा चुन लिया।

इस प्रकार उमर रज़ि० की शहादत के पश्चात वे सन २४ हिजरी को खलीफ़ा बनाए गए और पैतीस सन हिजरी को वे भी शहीद कर दिए गए। उनका शासनकाल दस दिन कम बारह वर्ष रहा। उनको शहीद करने वालों में किनाना बिन बिश्र, कुतैरा सकोनी और अब्दुर्रहमान बिन उसैदस थे, जो सबके सब मिस्री थे। उनके शासनकाल में इस्लामी सल्तनत उत्तरी अफ्रीका तक फैल गई थी।

सहीह हदीसों में उनकी भी बड़ी श्रेष्ठता बयान की गई है। उस्मान रज़ि० की इससे बड़ी श्रेष्ठता और क्या हो सकती है कि नबी स० ने अपनी एक पुत्री के देहान्त के बाद दूसरी पुत्री का भी उस्मान रज़ि० से निकाह कर दिया। उस्मान के विषय में प्रसिद्ध है कि आप इतने शर्मीले थे कि एक बार नबी स० आइशा के घर में इस प्रकार लेटे हुए थे कि आपकी पिण्डली का कुछ भाग खुला हुआ था। इतने में अबू बक्र ने द्वार खटखटाया और अन्दर आने की आज्ञा मांगी। उनको आज्ञा मिल गई, थोड़ी देर के पश्चात उमर को आज्ञा मिल गई, और नबी स० इसी दशा में लेटे रहे थोड़ी देर पश्चात उस्मान रजि० ने अन्दर आने की आज्ञा मांगी। तो आप स० उठकर बैठ गए और अपना वस्त्र बराबर कर लिया।

आइशा रजि० ने तत्पश्चात नबी स० से कहा,

''अबू बक्र आए तो आप वैसे ही लेटे रहे, उमर आए तब भी आप वैसे ही लेटे रहे, परन्तु जब उस्मान आए तो आप संभलकर बैठ गए, और अपना वस्त्र भी ठीक कर लिया। तब आप ने फरमाया, ''क्या मैं उस व्यक्ति से न शरमाऊं जिससे फ़रिश्ते भी शरमाते हैं।'' (देखिएः मुस्लिम, २४०१)

४. अली-बिन-अबू-तालिब रजि० ये नबी स० के चाचा अबू तालिब के पुत्र तथा आप स० की प्रिय पुत्री फातिमा रजि० के पति थे। जिस दिन उस्मान की शहादत हुई, उसी दिन पैंतीस सन हिजरी को मदीना वालों ने उनके खलीफा होने की बैअत कर ली। फिर वे मदीना से कूफा चले गए और वहीं सन चालीस हिजरी में अब्दुर्रहमान बिन मुल्ज़िम नामी एक व्यक्ति ने उनको शहीद कर दिया। उस समय उनकी उम्र तिरेसठ वर्ष थीं। इस प्रकार उनका शासन काल चार वर्ष, नौ माह, दस दिन बनता है। उनकी श्रेष्ठता के वर्णन में बहुत सारी सहीह हदीसें आई हैं। उनमें से एक यह है।

जब नबी स० अपने सहाबा के साथ तबूक के लिए निकले तो अली रजि० को घर पर छोड़ दिया, ताकि वे स्त्रियों और बच्चों की देख-भाल कर सकें, तो अली ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे बच्चों और सित्रयों के पास छोड़ रहे हैं? इस पर नबी स० ने फरमाया ऐ अली! क्या तुम इस बात से प्रसन्न नहीं कि तुम्हारा दर्जा मेरे निकट वही हो जो हारून का दज्र मूसा अलैहिस्सलाम के निकट था। परन्तु मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। (देखिएः बुखारी, ४४१६ तथा मुस्लिम, २४०४)

आतंकवाद और इस्लाम

लेखकः डा0 लईकुल्लाह खांन

मौलाना असग़र अली इमाम महदी

आतंकवाद विश्व संकट है। अधिकांश मुस्लिम और गैर मुस्लिम समाज इससे दो चार हो चुके हैं और इसकी आग से अब भी झुलस रहे हैं। आतंकवादी अंधे होते हैं वे निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं, वे ध र्म, कौम नस्ल, इलाके और रंगत को देखे बिना क़त्ल करते हैं। सम्पत्तियां तबाह करते हैं, जान बूझ कर कार धमाके करते हैं, कार ध माकों के निशाने की चपेट जो लोग आते हैं वे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, शिक्षित और अन पढ़ और गरीब, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, मुशिरक और अधर्मी हमलों की चपेट में आ जाते हैं। मरने वालों में अपंग, विवश, बीमार सब शामिल होते हैं। इस्लाम इसे धरती पर उत्पात मचाने का नाम देता है।

अल्लाह तआला इस उत्पात को पसन्द नहीं करता, इस्लाम का कहना है कि आतंकवाद सरासर बुराई और विनाश है।

आतंकवाद दुख व गम का वातावरण पैदा कर देता है आतंकवाद अराजकता फैला देता है, आतंकवादी नकारात्मक सोच वाले होते हैं मानसिक रोगी, कटु भाषी झूठे और कपट रखने वाले होते हैं। उन्मादी, दुराचारी, कड़वे स्वभाव वाले हीन भावना का शिकार मुस्लिम समुदाय के कामों से विचलित और उसकी महानता एवं वर्चस्व के अशुभचिंतक होते हैं।

पूरा संसार आतंकवाद से तंग हो चुका है, आतंकवादी वारदात इसे करते समय किसी कौम किसी देश किसी धर्म किसी स्थान और किसी समय की भी परवाह नहीं करते। आतंकवादी धार्मिक, नस्ली, राष्ट्रीय, स्वदेशी, मसलकी भावनाओं और संवेदना से ख़ाली होते हैं।

आतंकवाद न समझ में आने वाला अपराध है। अक्ल व सूझ बूझ इसकी इजाज़त नहीं देती, आतंकवाद को धार्मिक शिक्षाएं स्वीकार नहीं करतीं, सभ्यता व संस्कृति की परम्परा एवं नैतिक मर्यादा व मूल्य भी इसकी इजाज़त नहीं देते। कानून और नियम इसका समर्थन नहीं करते। आतंकवाद असल में नाम है खून खराबा करने, आतंक फैलाने, अपहरण, विनाश, लूटमार, वातवरण को अस्त-व्यस्त करने और दुनिया में फसाद फैलाने का।

◆ शान्ति एक अनमोल नेमत है यह अल्लाह की धरोहर है अल्लाह ने शान्ति की नेमत पर शुक्र अदा करना फर्ज़ किया है। शान्ति की नेमत पर उपकार जताया है। अल्लाह ने समाज की दृढ़ता लोगों की सुरक्षा और सुख शान्ति के महत्व का उल्लेख इन शब्दों में किया है।

''अतः उनको चाहिए कि वे इस घर के पालनहार की उपासना करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और भय से बचाकर शान्ति प्रदान की''। (सूरह ईलाफ-३-४)

मतलब यह है कि उस दौर में अरब दुनिया की कोई बस्ती ऐसी न थी जिसके लोग चैन से सो सकते हों, कि हर समय मार धाड़ का डर लगा रहता था। कोई व्यक्ति अपने

कबीले की सीमा से बाहर क़दम रखने का साहस न कर सकता था। कोई काफिला इत्मीनान से सफर न कर सकता था लेकिन मक्का के कुरैश पूरी तरह सुरक्षित थे हरम के किसी भी बन्दे से कोई लड़ाई करने का साहस न कर पाता था।

इसी तरह अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहि० की जुबान से मिस्र की शान्ति व्यवस्था का भी उल्लेख किया है अल्लाह तआला फरमाता है : '' और जब वे लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने मां बाप को अपने पास बिठा लिया और कहा चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो सुख शान्ति से रहोगे''। (सूरह यूसुफ-९९)

इन आयतों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम को मुस्लिम समुदाय और उससे जुड़े लोगों की सुरक्षा कितनी प्रिय है और वह तमाम इन्सानों को हिंसा जनक अपराधों के डर, भय, आतंक और घबराहट से कितना बचाना चाहता है।

इस्लाम पूरी मानव जाति के लिए दयालुता और शान्ति का झण्डावाहक है। अल्लाह तआला नबी सल्ल० को सम्बोधित करके कहता है

''और हमने तुम्हें सारे संसार के लिए रहमत बनाकर भेजा'' (सूरह अम्बिया १०७)

◆ इस्लाम ने रंग व नसल और भाषा व राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर तमाम कौमों व कबाइल के बीच शान्ति व सुरक्षा और एकता व भाई चारा पैदा करने का हुक्म दिया है।

''ऐ लोगो! निश्चय ही हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर हमने तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। असल में अल्लाह के निकट तुम में से सबसे अधिक सम्मान वाला वह है जो तुम्हारे अन्दर सबसे अधिक परहेजगार है''। (सूरह हुजरात-१३)

इस्लाम ने समस्त इन्सानों को पांच बुनियादी ज़रूरतों को निभाने का हुक्म दिया है। इस्लाम ने जान, नस्ल, दीन, अक्ल और दौलत की सुरक्षा का पाबन्द बनाया है। इस्लाम का यह हुक्म उस रौशन सत्यता का प्रतीक है कि इन पांच बातों का विरोध करने वाला हर अमल शरीअत के खिलाफ है।

अब इस पृष्टभूमि में आतंकवाद को देखिए :

आतंकवाद से जान व माल की तबाही व बर्बादी होती है इस से दुनिया भर में विनाश होता है और सभ्यता व संस्कृति के निशान मिटते हैं अतः आतंकवाद स्वयं प्रतिबन्धित हो गयी। आतंकवाद का उन्मूलन अनिवार्य हो गया क्योंकि इससे उस पालन हार के उस आदेश का उल्लंघन होता है जिसके तहत उसने जान व माल, नस्ल दीन और अक्ल की सुरक्षा अनिवार्य ठहराई है कि आतंकवाद से इन पांच जरूरतों की सुरक्षा की बजाए इनका विनाश होता है।

◆ इस्लाम में आतंकवाद के लिए हेराबा की परिभाषिकी निध ारित है। यह परिभाषिकी कुरआन पाक की है अल हेराबा की सज़ा अल्लाह ने निश्चित की है। कोई भी उसमें परिवर्तन का हक़ नहीं रखता अल हेराबा और उसकी सज़ा का ईश्वरीय आदेश १४ सौ सालों से तिलावत किया जा रहा है और क़ियमात तक इसका सिलसिला चलता रहेगा।

अल्लाह के फरमान का अनुवाद है। ''जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में इस लिए दौड़ धूप करते फिरते हैं कि

फसाद (उपद्रव) पैदा करें उनकी सज़ा यह है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ और पांव विपरीत दिशा में काट डाले जाएं या उन्हें देश से निकाल दिया जाए। यह अपमान और तिरस्कार तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ी सज़ा है मगर जो लोग तौबा कर लें इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है''। (सूरह माइदा-३३)

◆ अल्लाह ने इन दोनों आयतों में उपद्रव पैदा करने वालों के विरुद्ध सख्त सजाएं बतायी हैं। डराने वाली ये सज़ाएं आतंकवाद जैसे भयानक और बर्बरता पूर्ण अपराध के लिए अत्यंत उचित हैं अर्थात अपराध जितना भयानक और बर्बरता पूर्ण है सज़ा भी वैसी ही डराने वाली निर्धारित की गयी है ज्ञानात्मक ईमानदारी, वैचारिक पारदर्शिता और उसूली निष्पक्षता के साथ यह बात बिना खण्डन के डर के कही जा सकती है कि इस्लाम हिंसा और आतंकवाद की तमाम गतिविधियों को नापसन्द करता है आसमानी धर्म इस्लाम आज से १४०० साल पहले आया था तब से आज तक वह हेराबा (आतंकवाद) को अपराध करार दे रहा है और इसके लिए शिक्षा प्रद सज़ा निर्धारित किए हुए है जो उसने दुनिया के किसी भी अपराध के लिए निर्धारित नहीं की। यहां मैं इस्लाम को बदनाम करने वाले और इस्लाम पर अतिवाद और आतंकवाद का आरोप लगाने वाले पश्चिमी मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपके पास इस्लाम पर आतंकवाद के आरोप का कोई एक सुबूत भी है?

इसके विपरीत यह बात हक़ व सच है कि पश्चिमी मीडिया के कर्ता धरता विश्व सहयूनियत से जुड़े हैं इसी लिए वे सहयूनी दावे दोहराते हैं कि इस्लाम हिंसा और अतिवाद का झण्डावाहक धर्म है आतंकवाद और पक्षपात का झण्डावाहक है और सत्य तो यह है कि इस्लाम दया और शान्ति प्रियता की शिक्षा देता है उदारता का पाठ पढ़ाता है। इज्ज़त व आबरु की आज़ादी की सुरक्षा का हुक्म देता है अल्लाह के नबी करीम सल्ल० को रहमतुल लिल आलमीन (सारे संसार के लिए दयालु) की उपाधि दी है। अल्लाह फरमाता है

''ऐ नबी हमने तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बना कर भेजा है''। (सूरह अम्बिया १०७)

अल्लाह ने कुरआन पाक में यह भी बताया है कि आप सल्ल० नर्म और खुश स्वभाव और अच्छे आचरण वाले थे। अल्लाह फरमाता है:

''अल्लाह की रहमत से तुम उनके लिए नर्म स्वभाव हो''। (सूरे आल इमरान-१५९)

अल्लाह तआला ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्ल० को उच्च आचरण की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए भेजा।

अल्लाह तआला ने अपनी ज़ात के बारे में बताया है:

''उसने दयालुता एवं करूणा को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है''। (सूरह अनआम-१२)

अल्लाह की इस दयालतुता का करिश्मा है कि इन्सान की असख्य गलतियों और अवज्ञाओं के बावजूद उसे निरंतर छूट दी जाती रही है।

इस्लाम ने हर इन्सान को सोचने और समझने की आज़ादी दी है।

''जो चाहे वह ईमान लाए और जो चाहे वह इन्कार कर दे''। (सूरे कहफ-२९)

इस्लाम ने हैसियत वाले लोगों को क्षमा करने और बुराई का जवाब बुराई से देने को बुरा कहा है। इस्लाम ने न्याय का हुक्म दिया है विद्रोह, आतंकवाद, जुल्म व अत्याचर, खून खराबा, यातना और दीन के बारे में जोर जबरदस्ती से मना किया है। इस्लाम और शान्ति में शाब्दिक समानता भी पायी जाती है इस्लाम और सलाम दोनों एक ही स्रोत से निकले हैं। मुसलमानों का स्वागतम वाक्य अस्सलाम है मुसलमान पांच समय नमाज़ें अदा करते हैं तो नमाज़ पूरी करते समय दाएं बाएं ओर सलाम करते हैं।

इस्लाम का उद्देश्य मानव के जीवन उसके दीन, उसकी अक्ल, उसकी दौलत और उसकी नस्ल की सुरक्षा है इस्लाम ने एक इन्सान के कत्ल को पूरी मानव जाति के कत्ल के जैसा ठहराया है।

अल्लाह का फरमान है

''इसी वजह से बनी इसराईल पर हमने यह फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इन्सान को खून के बदले या जमीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया उसने गोया तमाम इन्सानों को कत्ल कर दिया और जिसने किसी को जीवन प्रदान किया उसने गोया तमाम इन्सानों को जीवन प्रदान किया''। (सूरह माइदा-३२)

इस आयत से यह बात और स्पष्ट हो गयी कि इस्लाम अतिवाद और आतंकवाद का आवाहक नहीं है। पवित्र कुरआन और हदीस में एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आतंकवाद की पुष्टि व हिमायत होती हो इसके विपरीत कुरआन व सुन्नत में ऐसी आयतें व हदीसें भरी हुई हैं जिनमें मुसलमानों को अतिवाद हिंसा और आतंकवाद से बाज़ रहने का पाबन्द बनाया गया है। इस्लाम बताता है कि मुसलमान वही माना जाएगा जो पूर्व के तमाम सन्देष्टाओं की नुबुवत (ईश्दौत्य) को ठीक समझता हो इस्लाम तमाम लोगों को प्रेम व मौहब्बत की शिक्षा देता है। रंग व नस्ल धर्म व कौमियत (राष्ट्रीयता) से ऊपर उठकर मेल मिलाप की शिक्षा देता है। इस्लाम शुभ सूचना सुनाने वाला है। घृणा करने वाला नहीं। चूंकि इस्लाम पक्षपात न करने की शिक्षा देता है इसलिए आतंकवाद का विरोध करता है। शान्ति प्रिय लोगों के खिलाफ उन्हें भयभीत करने से मना करता है। यदि हम हिंसा और आतंकवाद से इस्लाम की नफ़रत का पता लगाना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि इस्लामी फिक़्ह (धर्मशास्त्र) इसे घिनौना अपराध क्यों समझता है तो हमें आसमानी धर्मों की हैसियत से अवतरित होने वाले दीन इस्लाम और उससे जुड़े कुछ सरफिरे तत्व और तथाकथित मुसलमानों के गलत कामों में अन्तर करना होगा।

(सलाम) मुसलमान का शीर्षक है, इसके विपरीत मामला सही नहीं है।

आतंकवाद और पक्षपात, गैर मुस्लिम देशों में भी मौजूद है। आतंकवाद और पक्षपात विश्व फ़ितना और आफत हैं यह किसी एक देश या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं। इस्लाम के दुश्मन हमारे इन दो सवालों के जवाब नहीं दे सकते।

सवाल न०१. अन्य धर्मों के अनुयायियों के बीच पक्षपात और आतंकवाद भी इस्लाम ही ने फैलाया है?

सवाल न०२. क्या पश्चिमी देशों में मुस्लिम अल्प संख्यकों पर ढ़ाए गए जुल्म व अत्याचारों में भी इस्लाम ही का हाथ है?

इस्लाम ने आतंकवाद और उसके खतरों की रोक थाम के लिए

अनेक तौर तरीक़े अपनाए हैं, प्रमुख तरीक़ा मध्यमार्ग और सन्तुलित रास्ता को प्रचलित करने का है।

इस्लाम जीवन के तमाम मामलों में सन्तुलित रास्ता अपनाने का आवाहक है। इस्लाम अपने मानने वालों को आध्यात्मिक और भौतिक अतिश्योक्ति से बचाता है।

इस्लाम सीधे रास्ते की पाबन्दी के सबब और सन्तुलित तरीक़ा अपनाने की वजह से अतिवाद वाले धर्मों से भिन्न है।

इस्लाम समाज के सभी लोगों को सद व्यवहार का हुक्म देता है। इस्लाम तमाम इन्सानों के अधिकारों का संरक्षक है।

इस्लाम किसी भी निर्दोष इन्सान का खून बहाने से मना करता है। इस्लाम एक इन्सान के अकारण कत्ल को पूरी दुनिया के इन्सानों के कत्ल के समान ठहराता है।

कुरआन में आतंकवाद का उल्लेख

(इरहाब) का शब्द १४०० साल पूर्व कुरआन पाक में कई स्थानों पर आया है। अल्लाह तआला फरमाता है।

''ऐ बनी इसराईल याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें सुशोभित किया था, मेरे साथ तुम्हारी जो प्रतीज्ञा थी उसे तुम पूरा करो तो मेरी जो प्रतीज्ञा तुम्हारे साथ थी उसे मैं पूरा करूंगा और मुझ से ही डरो''। (सूरह बक़रा-४०)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः ''और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताक़त और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए तैयार रखो ताकि उसके द्वारा अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को भयभीत करदो, जिन्हें तुम नहीं जानते''। (सूरह अन्फाल-८)

अल्लाह तआला फरमाता है।

''फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वह तख्तियां उठा लीं जिनके लेखन में निर्देश और दयालुता थी उन लोगों के लिए जो अपने पालनहार से डरते थे।'' (सूरह आराफ-१५४)

यहां (यर्हबून) का अर्थ भय, आतंक और डरने का है। सूरह क़ेसस में अल्लाह फरमाता है

''और तुम भय से बचने के लिए अपना बाजू भींच लो''।

(अर्रह्ब) का अर्थ भय और दहशत का है।

इस बयान से पता चला कि अरबी शब्द कोष में (इरहाब) का अर्थ स्पष्ट और निर्धारित है अरबी शब्दकोष में इरहाब निश्चित उद्देश्यों के लिए संगठित हिंसा, आतंकवाद कहलाता है।

अंग्रेज़ी में इसके लिए Terrorism का शब्द इस्तेमाल होता है। यह लेटिन भाषा का शब्द है। Ters से लिया गया है और इस शब्द से Terror बना है। इसका अर्थ सख्त भय और आतंक के लिए आता है।

आक्स फोर्ड शब्द कोष में टेरोरिज़्म की परिभाषा यह की गयी है ''मुख्यता राजनीतिक उदेश्यों के लिए हिंसा और डराना धमकाना टेरोरिज़्म है''।

इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ी और अरबी भाषा के शब्द कोषों में आतंकवाद की धारणा समान है। दोनों में समानता पायी जाती है। अरबी के शब्द कोषविद हों या अंग्रेज़ी के, दोनों का सर्वसम्मत ख्याल है कि आतंकवाद, राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने, डराने धमकाने और हिंसा करने का काम है।

नसीहत के शिष्टाचार

मौलाना अब्दुल मन्ना शिकरावी

नसीहत (उदेश एवं सलाह) देने का सबसे पहला अदब यह है कि इंसान खालिस तौर पर अल्लाह की खुशी चाहता हो, और जिसे नसीहत कर रहा है उसकी भलाई चाहता हो। कुछ लोग नसीहत के नाम पर सामने वाले को शर्मिंदा करते हैं, डाँटते हैं, या उसकी इज़्जत गिराते हैं, जो कि नसीहत के असली आदाब (शिष्टाचार) के बिलकुल खिलाफ है। इसलिए जरूरी है कि नसीहत का मकसद नेक और सही हो।

नसीहत देते समय नरमी और मुलायम अंदाज अपनाना चाहिए, क्योंकि नरमी किसी भी चीज को खूबसूरत बना देती है। फिरऔन की मिसाल सामने है, जिसने कहा था ''मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ।'' वह जमीन का सबसे बड़ा सरकश था। फिर भी जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि० और हारून अलैहि० को उसकी तरफ भेजा तो फरमायाः उससे नर्म बात करना, शायद वह समझ ले या डर जाए।'' (सूरह ताहाः ४४)

इंसानी फितरत जुल्म और सख़्ती को पसंद नहीं करती, बल्कि नरमी और मेहरबानी की तरफ झुकती है। इसलिए नसीहत करते समय नरमी, मेहरबानी और अच्छा अखलाक दिखाना चाहिए। चाहे नसीहत कितनी ही अच्छे अंदाज में की जाए, उसमें तन्कीद (आलोचना) का पहलू रहता ही है, जो नफ्स को भारी लगता है। इसी वजह से नरमी बहुत जरूरी है।

मोमिन भलाई चाहने वाला होता है, जबकि मुनाफिक लोगों को रुसवा करने वाला होता है। इसलिए जब किसी को नसीहत करने का इरादा हो तो खुल्लम-खुल्ला, सबके सामने नसीहत न करें, बल्कि नरमी से, तमीज से और अकेले में मशवरा दें।

इमाम शाफेई रह. का मशहूर कौल हैः

''जो अपने भाई को अकेले में नसीहत करता है, वह सच में उसकी भलाई करता है। और जो सबके सामने नसीहत करे, वह उसे रुसवा करता है।''

यह भी अच्छी बात है कि नसीहत करते समय सामने वाले की नीयत पर शक न किया जाए। उसके गलत काम के लिए कोई अच्छा सा उज्र तलाश किया जाए, कि शायद किसी मजबूरी की वजह से उसने ऐसा किया हो।

सलफ का एक मशहूर कौल हैः''जब तुम्हें अपने भाई के बारे में कोई बुरी बात सुनने को मिले, तो उसके लिए कोई न कोई उज्र तलाश करो। अगर कोई अज्र न मिले तो कहो शायद इसका कोई उज्र हो, जो मुझे मालूम नहीं।''

यह भी कहा गया है कि किसी से ऐसी बात लेकर कभी मत मिलो, जो वह पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे वह तुम्हारी नसीहत मानने से रुक जाएगा।

मोमिन की मिसाल दो हाथों

की तरह हैं एक हाथ दूसरे को धोकर साफ करता है। इसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन की गलती को खुल्लम-खुल्ला नहीं फैलाता, बल्कि चुपचाप नरमी से समझाकर उसे उस गलत काम से रोक देता है।

हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमायाः

''क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में न बताऊँ, जो न नबी हैं और न शहीद, लेकिन कयामत के दिन नबी और शहीद भी उन पर रश्क करेंगे? वे लोग नूर के मिंबरों पर होंगे।'' सहाबा ने पूछा ''ऐ अल्लाह के रसूल! वे कौन लोग होंगे?''

आप ने फरमायाः ''जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के लिए एक-दूसरे का महबूब बनाते हैं, और अल्लाह को उसके बंदों के लिए महबूब बनाते हैं, और जमीन में घूमते फिरते लोगों की भलाई और नसीहत करते हैं।''

सहाबा ने पूछाः ''अल्लाह को लोगों के बीच महबूब बनाना तो समझ में आता है, लेकिन लोगों को अल्लाह का महबूब कैसे बनाया जाए?''

आप ने फरमायाः ''वो लोगों को अल्लाह की मोहब्बत वाले कामों का हुक्म देते हैं और उन कामों से रोकते हैं जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है। जब लोग उनकी नसीहत मानते हैं तो वे अल्लाह के महबूब बन जाते हैं।''

> सलफ का एक मशहूर कौल है:''जब तुम्हें अपने भाई के बारे में कोई बुरी बात सुनने को मिले, तो उसके लिए कोई न कोई उज्र तलाश करो। अगर कोई अज्र न मिले तो कहो शायद इसका कोई उज्र हो, जो मुझे मालूम नहीं।''
>
> यह भी कहा गया है कि किसी से ऐसी बात लेकर कभी मत मिलो, जो वह पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे वह तुम्हारी नसीहत मानने से रुक जाएगा।

मुसलमान आपस में एक इमारत की तरह हैं, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सहारा देता है। मुसलमान एक-दूसरे को नेकी, परहेजगारी, हक और सब्र की हिदायत करते हैं, और बुराई से रोकते हैं।

एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है वह उसकी गलती पर पर्दा डालता है, उसकी चूक माफ करता है, उसका उज्र कबूल करता है, गैर-हाजिरी में उसकी इज़्जत की हिफाजत करता है, और हमेशा उसकी भलाई चाहता है।

नसीहत एक बहुत अच्छी आदत है, जिसे समाज में बढ़ावा मिलना चाहिए। जब समाज में भलाई का जज़्बा बढ़ेगा, लोग नसीहत करने वालों से मोहब्बत करेंगे, तो समाज में रहमत और भलाई फैल जाएगी।

सहीह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं

''मैंने रसूलुल्लाह स० से नमाज कायम करने, जकात अदा करने, और हर मुसलमान की भलाई चाहने पर बैअत की।''

इमाम खत्ताबी रह. कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने नमाज और जकात की तरह मुसलमानों की भलाई चाहने को भी बैअत को शर्त बनाया, जिससे पता चलता है कि इस्लाम में नसीहत और भलाई की कितनी बड़ी अहमियत है।

शिक्षा का अधिकार

डा0 मुक़्तदा हसन अज़हरी

इस्लाम ने जिस प्रकार हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ न्याय किया है तथा उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा है उसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में भी महिलाओं पर असाधारण ध्यान दिया है। समाज में महिलाओं के चरित्र के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये इस्लाम ने इसकी शिक्षा-दीक्षा को अनिवार्य घोषित किया है।

प्रसिद्ध हदीस है कि ''शिक्षा का ग्रहण करना सभी मुसलमानों के लिये अनिवार्य है।'' का आदेश महिला-पुरूष दोनों के लिये है तथा इस पर इस्लामी विद्वान सहमत हैं। पुरूषों तथा महिलाओं के लिये जिस शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया है इसमें ईमान (आस्था) के स्तम्भ, ध ार्मिक दायित्वों की अदायगी आदि कार्य सम्मिलित हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास एक महिला ने आकर कहा कि आपके उपदेशों को सुनने का अवसर केवल पुरूषों को मिलता है आप हम महिलाओं के लिये भी कोई दिन निश्चित कर दें। नबी स० ने इस प्रश्न के उत्तर में दिन तथा स्थान निश्चित करके महिलाओं को भी शिक्षा दी।

इसी प्रकार नबी स० ने धर्म के नियमों, आदेशों को सीखने तथा शिक्षा व उपदेश सुनने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि सभी महिलआयें ईदुल फितर तथा ईदुल अज़हा के अवसर पर ईदगाह में उपस्थित हों, मासिक धर्म वाली महिलायें नमाज़ में सम्मिलित न हों केवल भाषण सुनें।

इन हदीसों की वर्णन शैली तथा आदेशों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम महिलाओं को किसी भी अवसर पर उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता अपितु हर अवसर पर उनकी भलाई के लिये आवश्यक आदेश पारित करता है।

कुरआन ने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का दायित्वयह भी बताया है कि आपको अनपढ़ों को कुरआन सुनाने तथा उन्हें किताब व सुन्नत (नियमित धार्मिक पुस्तक) की शिक्षा देने के लिये नियुक्त किया गया। स्पष्ट है कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की इस शिक्षा का क्षेत्र केवल पुरूषों तक ही सीमित नहीं था इसमें महिलायें भी सम्मिलित थीं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से हदीस सीखने वाली महिलाओं की संख्या सात सौ से अधिक थी इन्हीं महिलाओं से बड़े बड़े महापुरूषों ने शिक्षा ग्रहण की।

इस्लाम के इसी ध्यान देने तथा साहस बढ़ाने के कारण आज इतिहास में ऐसी असंख्य महिलाओं के नाम मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा से सवयं को सुशोभित किया और दूसरों को भी अपनी शिक्षा से लाभान्वित किया। इस्लामी इतिहास में तफसीर, हदीस तथा फिकह एवं पद्य व साहित्य आदि प्रत्येक क्षेत्र में अनेकों योग्य महिलाओं के नाम आपको मिलेंगे। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के लिये अल्लाह तआला ने अनेकों

महिलाओं से विवाह वैध घोषित किया था। उलमा ने इस बहुविवाह के रहस्य पर प्रकाश डालते हुये यह भी लिखा है कि उम्महातुल मोमिनीन (नबी की बीवियाँ) के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को धार्मिक उपदेशों की शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। वे सभी बातें सीधे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से नहीं मालूम कर सकती थीं और न ही नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उन्हें विस्तारपूर्वक बता सकते थे।

उम्महातुल मोमिनीन (नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पत्नियाँ) के द्वारा यह कार्य भली भांति सम्पन्न हो गया। उम्महातुल मोमिनीन ने उम्मत के अफराद इस्लाम के अनुयायिओं) को नियमों की शिक्षा देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका अनुमान उन हदीसों से होता है, जो उनसे वर्णित है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद बहुत से सहाबा (नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के समकालीन उनके सहयोगी) महत्वपूर्ण समस्याओं के विषय में उनसे सम्पर्क स्थापित करते थे।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़सा पुत्री हज़रत उमर रज़ि० कबीला अदी की एक महिला ''अश्शफा'' से सुलेख सीखा करती थीं।

महिलाओं के शिक्षा के विषय पर इस्लाम के इसी ध्यान देने का परिणाम है कि मुस्लिम समाज में जितनी योग्य महिलायें गुज़र चुकी हैं तथा शिक्षा क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य कर चुकी हैं आज के सभ्य एवं प्रमतिशील समय में उसका उदाहरण कम दिखायी देगा।

उपदेशों के इस उज्जवल पहलू के साथ ही इतिहास की वह दुखद घटना भी सामने आती है कि बाद के समय में मुस्लिम समाज में महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गयी तथा यहां तक हुआ कि महिलाओं को धार्मिक सभाओं में भाग लेने से भी पृथक कर दिया गया।

वर्तमान समय में जब शिक्षा का प्रचलन बढ़ा तो अन्य ज़ातियों ने शिक्षा क्षेत्र को खाली देख महिलाओं की शिक्षा का पाठ्यक्रम इस ढंग का बनाया कि वे धर्म तथा व्यवहार एवं शिष्टाचार प्रत्येक से हाथ धो बैठे। आज का युग महिलाओं की ऐसी शिक्षा का अभियाचक है जिसके द्वारा भविष्य में वे मनुष्य के पालन पोषण के योग्य हो सकें। महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर इस तथ्य की उपेक्षा करके महिलाओं को रोटी तथा पद के लिये जो शिक्षा दे रहे हैं उससे मुस्लिम समाज को भारी नुकसान पहुंचेगा तथा यह हानि महिलाओं की अशिक्षा की हानि से कम न होगी।

डा० एलेक्सीस कारेल लिखते हैं कि शिक्षा का नियम, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा से संम्बन्धित नियमों का संशोधन आवश्यक हैं महिलाओं को उच्च शिक्षा देना उचित है, परन्तु इसलिये नहीं कि वे डाक्टर, वकील या शिक्षिका बनें, बल्कि इसलिये कि वे अपनी सन्तान को प्रशिक्षण द्वारा योग्य बना सकें।

उक्त लेखक ने आगे लिखा है कि आवश्यक है कि महिला को उसकी स्वभाविक ज़िम्मेदारी पुनः सौंपी जाये, जिसका अभिप्राय केवल सन्तान उत्पत्ति नहीं अपितु उसकी शिक्षा दीक्षा भी है।

इस्लाम ने महिलाओं के विषय में जिन सुधारात्मक आदेशों तथा नियमों का संचालन किया उनका सारांश निम्नलिखित है।

१. मनुष्यता की दृष्टि में पुरूष

तथा महिला दोनों समान हैं। २. पूर्व धर्मों ने आदम को स्वर्ग से निकालने का दायित्व केवल महिलाओं पर डाला है, किन्तु इस्लाम ने दोनों की भूल को इसका कारण घोषित किया है। ३. महिला, पुरूष के समान ही धर्म पर कार्यरत, उपासना तथा तपस्या एवं स्वर्ग में प्रवेश होने की पात्र है। ४. कन्या के जन्म को अमंगल मानना निराधार है, इसका पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा पुण्य कार्य है। ५. लड़की को जीवित गाड़ना या निर्धनता के भय से हत्या करना महा पाप है। ६. स्त्री, जीवन के हर पल तथा क्षण में सम्मान व प्रतिष्ठा की पात्र है। ७. इसे पुरूषों के समान शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ८. महिला, बेटी हो या पत्नी या मां प्रत्येक रूप में इसे वरासत का अधिकार प्राप्त है। ९. दाम्पत्य जीवन में पुरूष तथा महिला दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, यद्यपि परिवार के संरक्षण का अधिकार पुरूष का है। १०. पुरूष को तलाक का अधिकार है, परन्तु चारों के साथ समान व्यवहार करना अनिवार्य है। ११. पत्नियों की संख्या ४ से अधिक नहीं, परन्तु चारों के साथ समान व्यवहार करना अनिवार्य है। १२. घर के मुख्या को किशोरावस्था से पूर्व महिला का संरक्षण तथा देख-रेख का अधिकार प्राप्त है, परन्तु वह अत्याचार द्वारा उसके माल के मालिक नहीं बन सकते, फिर किशोरावस्था के उपारान्त पुरूष के समान उसे क्रय विक्रय, लाभ हानि व वक्फ़ तथा हिबा आदि करने की उसमें योग्यता है।

❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

इस्लाम में न्याय का महत्व और कुछ व्यवहारिक उदाहरण

नौशाद अहमद

इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानवता, समानता, न्याय और शांति पर आधारित है। कुरआन में कई जगह न्याय का न केवल हुक्म दिया गया है बल्कि इसे अल्लाह के करीब ले जाने वाला काम बताया गया है। इस्लाम में न्याय केवल समाज को व्यवस्थित रखने का नियम नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है जो हर मुसलमान पर जरूरी है।

इस्लाम में न्याय का महत्व १. कुरआन के अनुसार न्याय एक अनिवार्य आदेश हैः अल्लाह तआला फरमाता हैः ''ऐ ईमान वालों! न्याय पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह की खातिर गवाही दो, चाहे वह गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों न हो।'' (अन-निसाः १३५)

यह आयत स्पष्ट करती है कि इस्लाम में न्याय रिश्तेदारी, लाभ या नुकसान से ऊपर है। २. न्याय इस्लाम की बुनियादी भावना है :

इस्लाम में जुल्म, पक्षपात, रिश्तेदारी-वाद और हक छीनने की सख्त मनाही है।

नबी ने फरमायाः ''जुल्म कयामत के दिन अंधेरा बन जाएगा।'' यानी जुल्म का परिणाम दुनिया और आखिरत दोनों में बुरा है। ३. समाज का स्थिर रहना न्याय पर निर्भर है : जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ फसाद, झगड़े और नफरत बढ़ जाती है। इस्लाम चाहता है कि समाज मजबूत और शांतिपूर्ण हो, और इसकी सबसे बड़ी बुनियाद न्याय है।

४. हुक्मरानों और काजियों के लिए विशेष हिदायतें : इस्लाम में हुक्मरानों (शासकों) को खास तौर पर आदेश है कि वे न्याय के साथ शासन करें।

नबी ने एक न्यायप्रिय शासक को कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले रहने की खुशखबरी दी है। इस्लाम में न्याय के कुछ व्यावहारिक उदाहरण

१. नबी करीम का अद्‌भुत न्याय : एक बार कुरैश की एक औरत चोरी में पकड़ी गई। उसका कबीला चाहता था कि उसे सजा न मिले। लेकिन नबी ने फरमायाः ''अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, तो मैं उसका भी हाथ काटता।''

इससे साबित होता है कि इस्लामी कानून में किसी के लिए भी अलग नियम नहीं सब बराबर हैं।

२. हजरत उमर बिन खत्ताब का न्यायः हजरत उमर रज़ियल्लाहो के दौर में एक यहूदी का एक मुसलमान से झगड़ा हुआ। मामला काजी के पास गया, और काजी ने यहूदी के पक्ष में फैसला दिया।

हजरत उमर रज़ि० ने इसकी तारीफ करते हुए कहा ''तुमने किताब और सुन्नत के अनुसार फैसला किया है।'' इससे पता चलता है कि इस्लाम में गैर-मुस्लिम भी बराबर के नागरिक हैं, और उनके साथ भी न्याय जरूरी है। इस्लाम के शासकों ने इसका व्यवहारिक आदर्श पेश किया है लेकिन अफसोस है कि लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिये उसकी शिक्षाओं को गलत तरीक़े और गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं।

३. हजरत अली का अदालत में पेश होना

एक बार हजरत अली रज़ि० की एक जिरह (कवच) खो गई। मामला अदालत में गया। वहाँ वे आम नागरिक की तरह खड़े हुए।

सबूत न होने पर काजी ने

फैसला गैर-मुस्लिम के पक्ष में दे दिया। ४. फतह-ए-मक्का के समय आम माफी : नबी ने मक्का की फतह के दिन उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने सालों तक मुसलमानों पर अत्याचार बल्कि अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यह न्याय के साथ-साथ महान चरित्र की मिसाल है।

५. व्यापार में न्यायः इस्लाम व्यापार में धोखा, घटतौली और झूठ को बड़ा पाप बताता है।

नबी ने फरमाया : ''जिसने ध ोखा दिया वह हममें से नहीं।''

इस्लाम धर्म यह दिखाता है कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि बाजार और रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है। इस्लाम में न्याय केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। यह हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज और हर सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय पर चलने वाला समाज शांति, भाईचारे, बरकत और तरक्की से भर जाता है। इस्लामी इतिहास में न्याय के अनगिनत उदाहरण हैं, और जब तक लोग न्याय पर कायम रहे, वे दुनिया की सबसे बेहतरीन नैतिक और सभ्य कौम बने रहे।

❑❑❑

(बाक़ी पृष्ठ २४ का)

माता-पिता और छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नई पीढ़ी की सही तालीम और तरबियत की जाए तो समाज में बड़ा शैक्षिक बदलाव आ सकता है और कौम आत्मनिर्भर बन सकती है।

२१ नवंबर २०२५ को अमीर साहब एक सभा में शामिल होने के लिए लाल गोपाल गंज गए और वहाँ जामिआ अबू हुरैरा इस्लामिया के छात्रों और शिक्षकों को ख़िताब किया।

उन्होंने छात्रों को सहाबा और सलफ के तरीके पर चलकर इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और उसे फैलाने की ताकीद की।

साथ ही देश में फैल रही आतंकवाद जैसी बुराइयों की निंदा करते हुए अमन और शांति पर जोर दिया।

३१ नवंबर २०२५ को अमीर साहब ने नाजिम-ए-मालियात हाजी वकील परवेज और डाक्टर मोहम्मद शीस इदरीस तैमी के साथ पूर्वी यूपी जमीयत अहले हदीस की खुलफाए राशिदीन और तहफ्फुजे-इंसानियत कांफ्रेंस लखनऊ में शिरकत की।

१५ नवंबर २०२५ को अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने हैदराबाद-सिकंदराबाद की जमीयत द्वारा आयोजित इस्लाहे-मुआशरा कान्फ्रेंस की अध यक्षता की। उन्होंने कहा कि समाज की सुधार अपने घर से शुरू होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज समाज में कई बातें शामिल हो चुकी हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।

शराब और तंबाकू जैसी बुराइयाँ समाज को बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं। इमामों और खतीबों को चाहिए कि मस्जिदों में इन बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करें।

उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को गलत माहौल से बचाएँ, वरना उनकी शिक्षा और जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा।

अमीर साहब ने अम्न और शांति की अहमियत बताते हुए लाल किला बम धमाके की कड़ी निंदा की।

इस कान्फ्रेंस में कई बड़े उलेमा, सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अनेक सामाजिक-पोलिटिकल हस्तियों ने हिस्सा लिया।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर महोदय के दावती दौरे

६ अक्टूबर २०२५, गुरुवार को मरकजी जमीयत अहल-ए-हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने नमाज-ए-ईशा के बाद मदरसा उस्मान बिन अफ्फान भोजपुर, जिला गाजियाबाद के सालाना जलसे में हिस्सा लिया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि आज का दौर कंप्यूटर और टेक्नोलोजी का है। जमाअत के कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए जरूरी है कि जमाअती लोग अच्छे स्कूल और कालेज स्थापित करें ताकि हर व्यक्ति शिक्षा के मामले में मजबूत बने।

उन्होंने हिफ्ज-ए-कुरआन की फजीलत बताते हुए कहा कि कुरआन दुनिया का सबसे बड़ा मोजिजा (चमत्कार) है। इसी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी कुरआन अपनी असली और मूल अवस्था में मौजूद है, जबकि दूसरी किताबों में बहुत बदलाव हो चुका है। कुरआन अपनी असली हालत में इसलिए मौजूद है क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है।

इस आम जलसे में फारिग छात्रों को सनदें दी गईं और दुआ के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस अवसर पर नाजिम-ए-उमूमी मौलाना मुहम्मद हारून सनाबली भी मौजूद रहे।

२२ अक्टूबर २०२५ को अमीर साहब ने मौलाना हारून सनाबली के दो बेटों मुहम्मद और मुहम्मद हन्जला की शादी की खुशियों में हिस्सा लिया। निकाह से पहले एक छोटा दुआई या प्रोग्राम हुआ।

इस मौके पर अमीर साहब ने लोगों से अपील की कि शादी को आसान बनाया जाए, ताकि बेटियों की शादी में देरी न हो। उन्होंने कहा कि आजकल गैर-जरूरी रस्मों की वजह से गरीब माता-पिता बहुत परेशान हैं।

इसलिए समाज में फैली अनावश्यक रस्मों को खत्म करना जरूरी है। इसमें मदरसों और स्कूलों के उस्ताद और उलमा अहम भूमिका निभा सकते हैं।

२३ अक्टूबर २०२५ अमीर साहब ने जमीयत के कार्यकर्ताओं के साथ मौलाना हारून सनाबली के बेटों के वलीमे में मेरठ के गैलेक्सी शादी हाल में हिस्सा लिया। वहां जमात के लोगों से मुलाकातें और बातचीत हुई।

७ नवंबर २०२५ को जमाअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने जामिआ सिराजुल उलूम, बौंडीहार (यूपी) का दौरा किया।

जामा मस्जिद में जुमा का खुतबा दिया और फिर छात्रों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी कौम की तरक्की का असली जरिया है। जो भी कौम आज टेक्नोलोजी और अर्थव्यवस्था में आगे है, उसकी वजह शिक्षा ही है।

(बाक़ी पृष्ठ २३ पर)

मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म(७वीं क़िस्त)

लेखकः मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी
अनुवादः नौशाद अहमद

इस्लाम में सज़ा एवं दंड संहिता का कानून दुनिया और आख़िरत में मानवता की सुरक्षा और बक़ा के लिये है जैसा कि पवित्र क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमायाः और अक़्लमन्दो! सज़ा में तुम्हारे लिये ज़िन्दगी है इसकी वजह से तुम (नाहक़ क़त्ल) से रूके रहो'' (सूरे बक़राः१७९)

पाकदामन औरत पर झूठे आरोप की सज़ा के बारे में क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमायाः जो लोग पाकदामन औरतों पर व्यभिचार की तोहमत (झूठा आरोप) लगायें फिर चार गवाह न पेश कर सकें तो उन्हें ८० कोड़े लगाओ और कभी भी उनकी गवाही क़ुबूल न करो यह फासिक़ लोग हैं'' (सूरे नूरः४)

शराब पीने की सज़ा ८० कोड़े, गैर शादी वाले मर्द व औरत की सज़ा पवित्र में क़ुरआन में है ''व्यभिचार करने वाली औरत और मर्द में हर एक को सौ कोड़े लगाओ'' (सूरे नूरः२) चोरी करने वाले की सज़ा क़ुरआन में यह है कि ''चोरी करने वाला मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका जो उन्होंने किया, अज़ाब अल्लाह की तरफ से और अल्लाह तआला शक्ति और हिकमत वाला है'' (सूरे माइदाः ३८)

गलोबलाइजेशन का भयः

यह विचित्र भय है जिस में बाज़ मुसमलान लिप्त हैं। अपने चरित्र की कमी और ईमान की कमी को कोसने, सैक़ल करने और बढ़ाने के बजाये वह विश्व समुदाय से न मिलने और दूरी बनाने और फरार का रास्ता अपनाने का उपदेश दे रहे हैं और इस्लाम जिससे तमाम इन्सान व इस्लाम दुश्मन शक्तियां भयभीत हैं कि उनके विकास और षड़यंत्र का राज़ मानवता के सामने न खुल जाये और लोग इस्लाम को जान न जायें और यहां बाज़ ओलमा शुतुरमुर्ग बन कर इसलाम की हिफाज़त करना चाहते हैं। उनके जैसा बनने से ही सिर्फ नहीं बचना है बल्कि उनके षड़यंत्रों के पर्दे भी फाश करने हैं और इस्लाम जो पूरी मानवता का दीन है इसे साधारण भी करना है। इसके खिलाफ भ्रांतियों को दूर करना और इसे लिखना और दिलों के अन्दर बिठाना भी है। किंग अब्दुल अजीज ने विश्व समुदाय के सामने पवित्र क़ुरआन को जीवन-विधान के तौर पर रख दिया तो अंग्रेजों और उनके सहायकों के होश उड़ गये। यही हाल मलऊन इबलीस की सलाहकार समिति का भी था। मुसलमानों! तुम डरते क्यों हो यह सब आँधियाँ तातार के जमाने में, गैरों के अफसाने हैं, इस्तिशराक़ के ज़माने में, सहयूनियत के पैमाने में चल चुकी हैं और गर्दिश कर चुकी हैं। सुनो! इबलीस की ज़ुबानी तुम कहानीः

है अगर मुझको ख़तर कोई तो इस उम्मत से है

जिस की खाकसतर में है अब तक शरार आरजू

असरे हाज़िर के तक़ाजों से है लेकिन यह ख़ौफ़

हो न जाए आशकारा शर-ए पैगम्बर कहीं

अल हज़र आईने पैगम्बर से सौ बार अल हज़र

हाफिज़े नामूसे ज़न, मर्द आज़मा मर्द आकफरीं

और जो तुम्हें आतंकवादी और मानवता का क़ातिल समझते हैं और तुम्हारे दीन को अफयून। आओ तुम इनकी हक़ीक़त जानो, हम उनको दपर्ण दिखाते हैं तुमहारा दीन स्वयं क्या कहता है। ऐ मुसलमानों तुम कम से कम इन धर्म वालों के फैलाये हुये प्रोपैगण्डों से प्रभावित न हो उनकी चिकनी चपड़ी बातों और मुलम्मा साज़ी में न पड़ो कि हर चमकता नज़र आता सोना नहीं होता।

न जा जाहिर परस्ती में अगर कुछ अक़्ल व दानिश है

चमकता जो नज़र आता है सब सोना नहीं होता

देखो! दुनिया गलोबलाईजेशन के नाम पर कैसे अपने धोके के जाल में फंसा रही है। वैश्विक दीन व शिक्षा तो तुम्हारी थी। तुम्हारा माबूद जमीन व आस्मान का पालनहार है। पूरी दुनिया का रब है ''पूरा मानव समुदाय तुम्हारा समुदाय है'' की शिक्षा तुम्हारी है फिर तुम्हें क्यों कर संयास, अलगाव, और सभ्यता व गलोबलाइजेशन के नाम पर हरासां किया जा रहा है तुम उनकी चालों को समझो, उनकी आखों में आखें डाल कर बताओ कि हम हैं गलोबलाईजेशन के झण्डावाहक, सबकी नैया के खेवनहार और सबके दिलदार और सब हैं हमारे भाई परिवार। हमारा हुश्मन कोई नहीं हमारा गैर कौन है कि जिस का शोषण करें हमारा वजूद दूसरों की भलाई से बचाने के लिये है जैसा कि पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिये पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो और अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिये बेहतर था इन में ईमान वाले भी है लेकिन अधिकतर तो फ़ासिक़ हैं।'' (सूरे आल इमरानः११०)

(प्रेस रिलीज़)

जुमादल उख़रा१४४७ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, २१ नवंबर २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ जुमादुल उख़रा १४४७ हिजरी अर्थात २१ नवंबर २०२५ को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक २२ नवंबर २०२५ शनिवार के दिन जुमादल ऊला की ३०वीं तारीख होगी।

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए
मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्धा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

DECEMBER 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पता:-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28

28